



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

8 श्रावण 1940 (श10)  
(सं0 पटना 730) पटना, सोमवार, 30 जुलाई 2018

---

विधि विभाग

अधिसूचनाएं  
30 जुलाई 2018

सं०एल०जी०-01-6/2018-73/लेज—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित का निम्नलिखित अधिनियम जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 27 जुलाई 2018 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण को सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,  
अखिलेश कुमार जैन,  
सरकार के सचिव।

## (बिहार अधिनियम 8, 2018)

## बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 2018

बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 (बिहार अधिनियम 20, 2016) का संशोधन करने के लिये अधिनियम।

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरंभ।— (1) यह अधिनियम बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 2018 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा तथा संशोधन अधिनियम के प्रावधान सभी लंबित वादों पर लागू होगा।

2. बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-2 का संशोधन।— बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-2 की उप-धारा (58) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

“(58) “परिसर” से अभिप्रेत है और इसमें शामिल हैं भूमि तथा भवन, भंडागार, दूकान, होटल, रेस्तरा, बार, बूथ के रूप में निर्माण किया गया अथवा कोई अन्य संरचना और चल संरचना जिसमें जलयान, बेड़ा, वाहन तथा कोई भी अन्य चल संरचना है।”

3. बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-30 का प्रतिस्थापन।— बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-30 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा -

“30 किसी मादक द्रव्य या शराब के अवैध विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, कब्जा, विक्रय, क्रय, वितरण आदि के लिए शास्ति।— जो कोई भी, इस अधिनियम अथवा किसी नियम, विनियम के किसी प्रावधान अथवा उनके अधीन किए गए आदेश एवं अधिसूचना के उल्लंघन में अथवा इस अधिनियम के अधीन निर्गत विधिमान्य अनुज्ञप्ति, परमिट या पास के बिना अथवा नवीकृत किसी अनुज्ञप्ति, परमिट या पास अथवा उसके अधीन दिए प्राधिकार की किसी शर्त के उल्लंघन में -

- (क) किसी मादक द्रव्य, शराब या भांग का विनिर्माण करता है या उसे रखता है या उसका क्रय, विक्रय, वितरण, संग्रहण, भंडारण, बोटलबंद, आयात, निर्यात, परिवहन, हटाता अथवा खेती करता है, अथवा
- (ख) किसी विनिर्माणशाला, आसवनी (डिस्टीलरी) मद्य निर्माणशाला (ब्रेवरी) या भंडागार का निर्माण या स्थापित करता है या उसमें कार्य करता है, अथवा
- (ग) किसी मादक द्रव्य या शराब के विनिर्माण के प्रयोजनार्थ किसी सामग्री, बर्तन, उपकरण या साधित्र का विनिर्माण या उपयोग करता है या अपने कब्जे में रखता है या परिसर का उपयोग करता है, अथवा
- (घ) किसी सामग्री या फिल्म चाहे राज्य सरकार के लोगो के साथ हो अथवा बगैर अथवा किसी अन्य राज्य के लोगो अथवा रैपर या कोई अन्य वस्तु जिसमें शराब या मादक द्रव्य पैक किया जा सकता हो या किसी शराब या मादक द्रव्य के पैकिंग के प्रयोजनार्थ किसी साधित्र या उपकरण या मशीन का विनिर्माण करता है, अथवा
- (ङ) इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्त, स्थापित, प्राधिकृत या विद्यमान किसी आसवनी, मद्य निर्माणशाला, भंडागार या भंडारण के अन्य स्थान से किसी शराब या मादक द्रव्य को हटाता है, अथवा
- (च) किसी मादक द्रव्य या शराब का उपयोग करके या उसके बिना की गई किसी निर्मिति का विनिर्माण, विक्रय, वितरण, बोटलबंद, आयात, निर्यात, परिवहन करता है या उसे हटाता है या कब्जे में रखता है जिसे अल्कोहल अथवा अल्कोहल के लिए एक प्रतिस्थानी के रूप में परोसा जा सकता हो अथवा नशा उत्पन्न करने के प्रयोजनार्थ उपयोग किया गया हो अथवा किया जा सकता हो या उपभोग किया गया हो, वह उस अवधि के लिए जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकेगा और उस जुर्माने से जिसे 10 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकेगा, दंडनीय होगा,

परंतु सजा -

- (क) प्रथम अपराध के लिए पाँच वर्ष के कारावास से कम और एक लाख रुपये के जुर्माने से कम नहीं होगा, और
- (ख) द्वितीय अपराध और पश्चात्वर्ती अपराधों के लिए, दस वर्षों का कठोर कारावास से कम तथा पाँच लाख रुपये के जुर्माने से कम नहीं होगा।”

4. बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-32 का प्रतिस्थापन।— बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-32 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

“ 32 कुछ मामलों में अपराध करने के बारे में अनुमान।—

- (1) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के अभियोजन में, अभियुक्त व्यक्ति को किसी शराब, मादक द्रव्य या ऐसी शराब के विनिर्माण या भंडारण में अंतर्ग्रस्त सामग्री, बर्तन, उपकरण या साधित्र का कब्जा रखने का लेखा-जोखा देना होगा।

- (2) संतोषप्रद स्पष्टीकरण देने में असफल रहने पर यह उपधारणा की जाएगी कि अभियुक्त व्यक्ति, जबतक कि अन्यथा साबित नहीं हो जाता, अपराध कारित करने का दोषी है।
- (3) जहाँ किसी उपकरण, मशीनरी, जानवर, जलयान, गाड़ी, वाहन, सवारी या किसी परिसर का उपयोग इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध कारित करने में किया जाता है और अधिहरण के दायी हों और या मुहरबंद (सील) करने के दायी हों वहाँ उनका स्वामी या अधिभोगी को संतोषप्रद रूप में लेखा-जोखा देना होगा और संतोषप्रद स्पष्टीकरण के अभाव में यह उपधारणा की जाएगी कि अभियुक्त व्यक्ति ने, जबतक अन्यथा साबित न हो जाय, अपराध कारित किया है।”

**5. बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-33 का प्रतिस्थापन।**— बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-33 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

“**33 विकृत स्पीट को मानव उपभोग के लिए उपयुक्त बनाने के लिए शास्ति।**— जो कोई भी किसी विकृत स्पीट को, मानव उपभोग, के लिए उसे उपयुक्त बनाने के आशय से, चाहे पेय के रूप में या दवा के रूप में अथवा किसी अन्य रीति या पद्धति से परिवर्तित करता है या परिवर्तित करने का प्रयास करता है अथवा किसी परिवर्तित विकृत स्पीट को जान बूझकर रखता है वह उस अवधि के कारावास के लिए जो दस वर्षों से कम न होगी किंतु जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकेगा तथा उस जुर्माने से, जो एक लाख रुपये से कम न होगा किंतु जिसे दस लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकेगा, दंडनीय होगा।”

**6. बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-34 का प्रतिस्थापन।**—बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-34 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

“**34 शराब के साथ हानिपूर्ण पदार्थ मिलावट करने के लिए शास्ति।**— जो कोई भी, (क) अपने द्वारा विनिर्मित अथवा कब्जे वाली या विक्रय की जाने वाली किसी शराब के साथ किसी हानिपूर्ण ड्रग अथवा जहरीले अवयवों को मिलाता है अथवा मिलाने की अनुज्ञा देता; अथवा

(ख) ठोस, अर्ध ठोस, द्रव, अर्ध द्रव अथवा गैसीय या तो स्थानीय रूप से अथवा अन्यथा बनी हुई कोई निर्मिति बनाता या बिक्रय करता है या अपने कब्जे में रखता है जिसे अल्कोहल के रूप में अथवा अल्कोहल के प्रतिस्थानी के रूप में सेवन किया जा सके और मादकता प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ उपयोग या उपभोग की जाती हो जो मानव को निःशक्तता या घोर गंभीर उपहति अथवा मृत्यु कारित करने जैसी हो, वह निम्नलिखित से दंडनीय होगा—

- (i) ऐसे कार्य के परिणामस्वरूप यदि मृत्यु होती है तो मृत्यु अथवा आजीवन कारावास की सजा तथा उस जुर्माने का दायी भी होगा जो पाँच लाख रुपये से कम नहीं होगा किंतु जिसे दस लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकेगा;
- (ii) ऐसे कार्य के परिणामस्वरूप यदि किसी व्यक्ति को निःशक्तता अथवा घोर उपहति होती है तो उस अवधि के लिए कठोर कारावास जो दस वर्षों से कम नहीं होगी किंतु जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकेगा तथा उस जुर्माने से जो दो लाख रुपये से कम नहीं होगा किंतु जिसे दस लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकेगा;
- (iii) ऐसे कार्य के परिणामस्वरूप यदि कोई अन्य परिणामिक चोट किसी व्यक्ति को कारित होती है तो उस अवधि के लिए कारावास, जो आठ वर्षों से कम नहीं होगी किंतु जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकेगा तथा उस जुर्माने से जो एक लाख रुपये से कम नहीं होगा किंतु जिसे दस लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकेगा;
- (iv) ऐसे कार्य के परिणाम स्वरूप यदि कोई चोट कारित नहीं होती है तो उस कारावास से जो आठ वर्षों से कम नहीं होगी किंतु जिसे दस वर्षों तक बढ़ाया जा सकेगा तथा उस जुर्माने से जो एक लाख रुपये से कम नहीं होगा किंतु जिसे पाँच लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकेगा,

**स्पष्टीकरण।**— इस धारा के प्रयोजनार्थ अभिव्यक्ति “घोर उपहति” से वही अभिप्रेत होगा

जो भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का XLV) की धारा-320 में हो।

**7 बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-35 का विलोपन।**— बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-35 (कपट करने के लिए शास्ति) विलोपित किया जायेगा।

**8. बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-36 का प्रतिस्थापन।**— बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-36 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

“**36 नकली शराब का कारोबार करने के लिए शास्ति।**— जो कोई भी, किसी नकली शराब का विनिर्माण, विक्रय, भंडारण, वितरण, बोटलबंद, आयात, निर्यात या उसे कब्जे में रखता है या परिवहन करता है वह उस अवधि की कारावास से जो दस वर्षों से कम नहीं होगी किंतु जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकेगा तथा उस जुर्माने से जो एक लाख रुपये से कम नहीं होगी किंतु जिसे दस लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकेगा, दंडनीय होगा।”

**9. बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-37 का प्रतिस्थापन।**— बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-37 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:—

**“37 शराब उपभोग के लिए शास्ति।**— जो कोई इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाये गये नियमों, अधिसूचना अथवा आदेश के उल्लंघन में —

- (क) किसी स्थान में शराब या मादक द्रव्य का उपभोग करता है; अथवा
- (ख) किसी स्थान में नशे में अथवा मदहोश की अवस्था में पाया जाता है; या
- (ग) शराब पीकर और नशे की अवस्था में किसी स्थान पर उपद्रव अथवा हिंसा करता है जिसमें उसका अपना घर अथवा परिसर शामिल है; अथवा
- (घ) नशे की अनुमति देता है अथवा सरल बनाता है या अपने स्वयं का घर अथवा परिसर में नशेड़ियों को जमा होने की अनुमति देता है :—

**दंडनीय होगा**

- (1) खंड (क) एवं (ख) के अधीन आनेवाले अपराध की दशा में, प्रथम अपराध के लिए, केवल उस जुर्माने से जो पचास हजार रुपये से कम नहीं होगा या उसके बदले तीन माह की अवधि के कारावास किंतु खंड (क) एवं (ख) के अधीन आने वाले पश्चात्पूर्वी अपराध के लिए उस अवधि की कारावास से जो एक वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जिसे पाँच वर्षों तक बढ़ाया जा सकेगा तथा उस जुर्माने से, जिसे एक लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकेगा।
- (2) खंड (ग) एवं (घ) के अधीन आनेवाले अपराध की दशा में उस अवधि की कारावास से, जो पाँच वर्षों से कम नहीं होगी किंतु जिसे दस वर्षों तक बढ़ाया जा सकेगा तथा उस जुर्माने से, जो एक लाख रुपये से कम नहीं होगा किंतु जिसे पाँच लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकेगा।

**10. बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-38 का विलोपन।**—बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-38 (मादक द्रव्य को कब्जा में रखने अथवा कब्जा में रखने की जानकारी के लिए शास्ति) विलोपित किया जायेगा।

**11. बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-53 का विलोपन।**—बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-53 (पूर्व दोषसिद्धि के पश्चात् विस्तारित दंड) विलोपित किया जायेगा।

**12. बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-54 का प्रतिस्थापन।**—बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-54 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:—

**“54 भू-स्वामियों, भवन स्वामियों तथा अन्य व्यक्तियों की अननुज्ञप्त निर्माण करने, कृषि या उपभोग करने की सूचना देने में विफलता।**—

- (1) जब कभी शराब या मादक द्रव्य या अन्य उत्पाद शुल्क लगाए जाने योग्य वस्तु का विनिर्माण, विक्रय, भंडारण किया जाता है या बोटलबंदी की या कब्जे में रखी या उपयोग की जाती है या उत्पाद शुल्क लगाए जाने योग्य किसी पौधे की खेती इस अधिनियम के उल्लंघन में, की जाती है तो उस भूमि या भवन का अधिभोगी या उसका एजेंट, जैसे ही उसकी जानकारी में बात आती है, उसकी जानकारी नजदीकी उत्पाद अधिकारी, पुलिस अधिकारी अथवा समाहर्ता को देगा।
- (2) उक्त भूमि या भवन का अधिभोगी या उसका एजेंट जब कभी उपधारा (1) के अनुसार जानकारी प्रकट करने में असफल रहता है तो वह या वैसे व्यक्ति दो वर्षों की कारावास की अवधि तक के लिए दंडित किए जाने का दायी होगा।”

**13. बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-56 का प्रतिस्थापन।**— बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-56 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:—

**“56 अधिहरण की जा सकने वाली चीजें।**— जब कभी कोई ऐसा अपराध कारित किया जाता है जो इस अधिनियम की अधीन दंडनीय हो।—

- (क) अवैध रूप से आयातित, परिवहित, विनिर्मित, विक्रय, भंडारण किया गया, कब्जे में रखा गया मादक द्रव्य या शराब, सामग्री, बर्तन, उपकरण, साधित्री, पैकेज या आवरण और या ऐसे मादक द्रव्यों या शराब के भंडारण, विनिर्माण या लेबलिंग के प्रयोजनार्थ ऐसे पात्र, पैकेज या आवरण के अंतर्वस्तुएँ, यदि कोई हो,
- (ख) किसी मादक द्रव्य या शराब ढोने के लिए उपयोग में लाया गया कोई जानवर, जलयान, वाहन या अन्य सवारी, या
- (ग) किसी परिसर या उसके भाग जिसका उपयोग किसी शराब या मादक द्रव्य के भंडारण या विनिर्माण के लिए अथवा इस अधिनियम के अधीन अपराध कारित करने के लिए किया गया हो। इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन विहित रीति से अधिहरण किये जाने का दायी होंगे।
- (घ) राज्य सरकार यदि आवश्यक समझे तलाशी, जप्ती और अधिहरण के संबंध में आवश्यक निर्देश, दिशा-निर्देश, विनियमन और अनुदेश निर्गत कर सकेगी।

14. बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-62 का प्रतिस्थापन।— बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-62 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:—

“62 परिसरों का सीलबंद किए जाने के अधीन होना।—यदि किसी उत्पाद पदाधिकारी या किसी पुलिस पदाधिकारी, जो अवर निरीक्षक से अन्यून पंक्ति का हो, को पता चले कि किसी खास परिसर में शराब अथवा कोई मादक द्रव्य अथवा उस परिसर विशेष या उसका कोई हिस्सा इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध को करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है या किया जा रहा है, तो वह तत्काल उस परिसर को सीलबंद कर सकेगा तथा उसके अधिहरण के लिए कलक्टर के पास प्रतिवेदन भेज सकेगा;

परन्तु, यदि उक्त परिसर अस्थायी संरचना हो जिसे प्रभावी ढंग से सीलबंद नहीं किया जा सकता हो, तो उत्पाद पदाधिकारी या पुलिस पदाधिकारी, कलक्टर के आदेश से, ऐसे अस्थायी संरचनाओं को ध्वस्त कर सकेगा।”

15. बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-64 का विलोपन।—बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-64 (सामूहिक जुर्माना) विलोपित किया जायेगा।

16. बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-66 का विलोपन।—बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-66 (कुख्यात अथवा आदतन अपराधियों का निष्कासन आदि) विलोपित किया जायेगा।

17. बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-76 की उपधारा (1) के बाद एक परंतुक का अंतःस्थापन।— बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-76 की उपधारा (1) के बाद निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा:—

“परंतु अधिनियम की धारा-37 की उपधारा (1) के अधीन प्रथम बार किया गया अपराध तथा धारा-54 के अधीन अपराध जमानतीय होगा।”

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
अखिलेश कुमार जैन,  
सरकार के सचिव।

30 जुलाई 2018

सं०एल०जी०-01-8/2018-72/लेज—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 27 जुलाई 2018 को अनुमत बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 2018 का निम्नलिखित अंग्रजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
अखिलेश कुमार जैन,  
सरकार के सचिव।

(Bihar Act 8, 2018)

**Bihar Prohibition and Excise (Amendment) Act, 2018**

AN

ACT

**TO AMEND THE BIHAR PROHIBITION AND EXCISE ACT, 2016 [Bihar Act 20, 2016]**

**Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the Sixty Ninth year of the Republic of India as follows:-**

**1. Short title, extent and commencement.**—(1) This Act may be called the Bihar Prohibition and Excise (Amendment) Act, 2018.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come in to force at once and the provisions of the Amendment Act shall apply to all pending cases.

**2. Amendment of Section-2 of Bihar Prohibition and Excise Act, 2016.**— Sub-section (58) of section-2 of the Bihar Prohibition and Excise Act, 2016, shall be substituted by the following:-

“(58) - "Premises" means and includes land and such construction by way of a building, store, shop, hotel, restaurant, bar, booth or any other structure and movable structures including vessel, raft, vehicle and any other movable structure.”

**3. Substitution of section -30 of Bihar Prohibition and Excise Act, 2016.**— Section-30 of the Bihar Prohibition and Excise Act, 2016, shall be substituted by the following :-

**"30- Penalty for unlawful manufacture, import, export, transport, possession, sale, purchase, distribution, etc. of any intoxicant or liquor.-** Whoever, in contravention of any provision of this Act or of any rule, regulation, order made, notification issued thereunder, or without a valid license, permit or pass issued under this Act, or in breach of any condition of any license, permit or pass renewed or authorisation granted thereunder –

- (a) Manufactures, possesses, buys, sells, distributes, collects, stores, bottles, imports, exports, transports, removes or cultivates any intoxicant, liquor, hemp; or
- (b) Constructs or establishes or works in any manufactory, distillery, brewery or warehouse; or
- (c) Manufactures, uses, keeps or has in his possession any material, utensil, implement or apparatus, or uses any premises, whatsoever, for the purpose of manufacturing any intoxicant or liquor; or
- (d) Manufactures any material or film either with or without the State Government logo or logo of any State or wrapper or any other thing in which liquor or intoxicant can be packed or any apparatus or implement or machine, for the purpose of packing any liquor or intoxicant; or
- (e) Removes any liquor or intoxicant from any distillery, brewery, warehouse, other place of storage licensed, established, authorized or continued under this Act; or
- (f) Manufactures, possesses, sells, distributes, bottles, imports, exports, transports or removes, any preparation made with or without the use of any intoxicant or liquor, which can serve as an alcohol or a substitute for alcohol and is used or likely to be used or consumed for the purposes of getting intoxicated;

shall be punishable with imprisonment for the term which may extend to life and with fine which may extend to ten lakh rupees. Provided that the punishment:

- (a) For the first offence shall not be less than five years imprisonment and fine of not less than one lakh rupees, and
- (b) For the second and subsequent offences shall not be less than ten years rigorous imprisonment and fine of not less than five lakh rupees."

**4. Substitution of section -32 of Bihar Prohibition and Excise Act, 2016.—** Section- 32 of the Bihar Prohibition and Excise Act, 2016, shall be substituted by the following:-

**"32- Presumption as to commission of offence in certain cases.-**

- (1) In prosecution of an offence under this Act, the accused person would have to account for the possession of any liquor, intoxicant, material, utensil, implement or apparatus involved in manufacture or storage of such liquor.
- (2) In the event of a failure to offer a satisfactory explanation, there shall be a presumption that the accused person is guilty of the commission of such offence, unless proved otherwise.
- (3) Where any equipment, machinery, animal, vessel, cart, vehicle, conveyance or any premises are used in the commission of an offence under this Act, and are liable to confiscation and/or liable to be sealed, the owner or occupier thereof would need to account satisfactorily, and in the absence of a satisfactory explanation the presumption that accused person committed the offence shall arise, unless proved otherwise."

**5. Substitution of section -33 of Bihar Prohibition and Excise Act, 2016.—** Section- 33 of the Bihar Prohibition and Excise Act, 2016, shall be substituted by the following:-

**"33- Penalty for rendering denatured spirit fit for human consumption.-**

Whoever alters or attempts to alter any denatured spirit with the intention to make it fit for human consumption, whether as a beverage or as a medicine, or in any other way and by any other method or knowingly possesses any altered denatured spirit, shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than ten years but which may extend to imprisonment for life and with fine which shall not be less than one lakh rupees but which may extend to ten lakh rupees."

**6. Substitution of section -34 of Bihar Prohibition and Excise Act, 2016.**— Section- 34 of the Bihar Prohibition and Excise Act, 2016, shall be substituted by the following:-

**"34-Penalty for mixing noxious substance with liquor.**- Whoever, (a) mixes or permits to be mixed with any liquor sold or manufactured or possessed by him, any noxious drug or any poisonous ingredient; or

(b) makes, sells or possesses any preparation, whether solid, semi solid, liquid, semi liquid or gaseous, either made locally or otherwise, that may serve as an alcohol or a substitute for alcohol and is used or consumed for the purposes of getting intoxicated which is likely to cause disability or grievous hurt or death to human beings, shall be punishable:-

- (i) if as a result of such an act, death is caused, with death or imprisonment for life and shall also be liable to fine, which shall not be less than five lakh rupees but which may extend to ten lakh rupees;
- (ii) if as a result of such an act, disability or grievous hurt is caused to any person, with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than ten years but which may extend to imprisonment for life, and with fine which shall not be less than two lakh rupees but which may extend to ten lakh rupees;
- (iii) if as a result of such an act, any other consequential injury is caused to any person, with imprisonment for a term which shall not be less than eight years but which may extend to life imprisonment and with fine, which shall not be less than one lakh rupees but which may extend to ten lakh rupees;
- (iv) if as a result of such an act, no injury is caused, with imprisonment which shall not be less than eight years but which may extend to ten years and fine which shall not be less than one lakh rupees but may extend to five lakh rupees;

Explanation :- For the purpose of this section the expression "grievous hurt" shall have the same meaning as in section-320 of the Indian Penal Code, 1860 (XLV of 1860)."

**7. Deletion of section- 35 of Bihar Prohibition and Excise Act, 2016.**— The section- 35 (Penalty for committing fraud) of the Bihar Prohibition and Excise Act, 2016, shall be deleted.

**8. Substitution of section -36 of Bihar Prohibition and Excise Act, 2016.**— Section-36 of the Bihar Prohibition and Excise Act, 2016, shall be substituted by the following:-

**"36- Penalty for dealing in spurious liquor.**— Whoever, manufactures, possesses, sells, stores, distributes, bottles, imports, exports, or transports any spurious liquor, shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than ten years but which may extend to imprisonment for life and with fine, which shall not be less than one lakh rupees but which may extend to ten lakh rupees."

**9. Substitution of section -37 of Bihar Prohibition and Excise Act, 2016.**— Section- 37 of the Bihar Prohibition and Excise Act, 2016, shall be substituted by the following:-

**"37- Penalty for consumption of liquor.**- Whoever, in contravention of this Act or the rules, notification or order made thereunder –

- (a) consumes liquor or intoxicant in any place; or
- (b) is found drunk or in a state of drunkenness at any place; or
- (c) drinks and creates nuisance or violence at any place including in his own house or premises; or
- (d) permits or facilitates drunkenness or allows assembly of drunken elements in his own house or premises;

**shall be punishable,**

- (1) in case of an offence falling under clause (a) and (b), for the first offence only with fine which shall not be less than Fifty thousand rupees or in lieu thereof sentence for a period of three months imprisonment but for subsequent offence falling under clause (a) and (b), shall be punishable with a term which shall not be less than one year but may extend to five years and with fine, which may extend to one lakh rupees.

- (2) In case of an offence falling under clause (c) and (d), with a term which shall not be less than five years but which may extend to ten years and with fine, which shall not be less than one lakh rupees which may extend to five lakh rupees."

**10. Deletion of section- 38 of Bihar Prohibition and Excise Act, 2016.**— Section- 38 (Penalty for possession or knowledge of possession of intoxicant) of the Bihar Prohibition and Excise Act, 2016, shall be deleted.

**11. Deletion of section- 53 of Bihar Prohibition and Excise Act, 2016.**—Section- 53 (Enhanced punishment after previous conviction) of the Bihar Prohibition and Excise Act, 2016, shall be deleted.

**12. Substitution of section- 54 of Bihar Prohibition and Excise Act, 2016.**— Section- 54 of the Bihar Prohibition and Excise Act, 2016, shall be substituted by the following:-

**" 54- Failure of occupier to disclose information of unlicensed manufacture or cultivation or consumption of liquor or intoxicant—**

- (1) Whenever any liquor or intoxicant or other excisable item is manufactured, sold, stored, bottled, possessed, consumed or any excisable plant is cultivated in contravention of this Act, occupier of that land or building or his agents, shall give information to the nearest excise official, police official or the Collector as soon as the fact comes to their knowledge.
- (2) Whenever occupier(s) of that land or building or his agents fail to disclose information as per subsection (1), such person or persons shall be liable to be punished for imprisonment up to two years."

**13. Substitution of section -56 of Bihar Prohibition and Excise Act, 2016.**— Section-56 of the Bihar Prohibition and Excise Act, 2016, shall be substituted by the following :-

**"56- Things liable for confiscation.—Whenever an offence has been committed, which is punishable under this Act.-**

- (a) any intoxicant or liquor unlawfully imported, transported, manufactured, sold, stored, possessed, material, utensil, implement, apparatus, package or covering and or the other contents, if any, of such receptacle, package or covering for the purposes of storing, manufacturing or labelling such intoxicant or liquor;
- (b) any animal, vehicle, vessel or other conveyance used for carrying any intoxicant or liquor; or
- (c) any premises or part thereof that may have been used for storing or manufacturing any liquor or intoxicant or for committing any other offence under this Act;  
shall be liable to be confiscated in a manner prescribed under the provisions of the Act,
- (d) The State Government, if deem necessary, may issue necessary directions, guidelines, Regulations and instructions with respect to mode and manner of search, seizure and confiscation."

**14. Substitution of Section -62 of Bihar Prohibition and Excise Act, 2016.**— Section-62 of the Bihar Prohibition and Excise Act, 2016, shall be substituted by the following :-

**"62- Premises liable to be sealed.**—If it comes to the notice of any excise officer or any police officer, not below the rank of a Sub Inspector, that any liquor or intoxicant has been found at a particular premises or a particular premises or a part thereof is or has been used for committing any offence under this Act, he may immediately seal the premises and send a report to the Collector for the confiscation of the same.

Provided that if the said premises are temporary structures which cannot be effectively sealed , then the excise officer or the police officer, with the order of the Collector, may demolish such temporary structures."



**15. Deletion of section- 64 of Bihar Prohibition and Excise Act, 2016.—** Section-64 (Collective fine) of the Bihar Prohibition and Excise Act, 2016, shall be deleted.

**16. Deletion of section- 66 of Bihar Prohibition and Excise Act, 2016.—** Section-66 (Externment etc of notorious or habitual offenders) of the Bihar Prohibition and Excise Act, 2016, shall be deleted.

**17. Insertion of proviso after sub-section (1) of section-76 of Bihar Prohibition and Excise Act, 2016.—**After sub-section (1) of section-76 of Bihar Prohibition and Excise Act, 2016, the following proviso shall be inserted:-

"Provided that offence committed for the first time under sub section (1) of section-37 and offence under section- 54 of the Act shall be bailable."

By Order of the Governor of Bihar,  
AKHILESH KUMAR JAIN,  
Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 730-571+400डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>